विविध **बैंक प्रकरण संख्या 99/2018**(GCMS : 2020/00215) **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा कार्यालय –सूरतगढ, बीकानेर रोड़**, सूरतगढ – 335805 **बनाम श्री संजय कुमार धुआ पुत्र श्री फतेह चन्द धुआ**, वार्ड नं. 09 नया **(पुराना–14)**, आदर्श कॉलोनी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर –335804

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता या प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। मैने पत्रावली का अवालोकन किया तो पाया कि दिनांक 16.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सूरतगढ के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी संजय कुमार धुआ के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संजय कुमार धुआ कर Residential House situated at ward no. 09 (new) old-14(admeasuring 1000 Sq. Ft.), Adarsh Colony, Suratgarh and Commercial Shop-Part of Plot no. 34,(admeasuring 10X20 Sq. Ft.) situated at ward no. 14(new), near SBBJ Bank, Suratgarh का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है कि **ऋणी द्वारा बैंक की अतिदेय राशि बैंक में जमा करवा दी है इसलिए वे इस प्रकरण वापिस लेना चाहते है। इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ने प्रस्तुत किया हुआ है, जो शामिल पत्रावली है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा सूरतगढ़, बीकानेर रोड़, सूरतगढ द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना को खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:41 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट